कार्यालय– नगर परिषद्, बड़हिया
(लखीसराय)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Mobile No.- 8986008652 Email ID- n.p.barhiya@gmail.com

पत्रांक–......66......... / न0प0,ब0 दिनांक–13-01-2025

आम सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक – 4081, दिनांक – 26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में Contractual basis पर स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

स्वच्छता साथी कौन होंगे :–

1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है परंतु स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी की उम्र 40 वर्ष से अधिक ना हो।
3. अभ्यर्थी को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सके।
5. अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यो में कम से कम एक वर्ष अनुभव होना चाहिए।
6. अभ्यर्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG Member, Swachhagrahi, Sanitation Worker, Brand Ambassadors, NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs youth, Community Based Organizations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते है।
7. नगर परिषद् स्तर पर कुल संख्या – 10 स्वच्छ साथी चयनित किये जायेगें।
8. साक्षात्कार दिनांक–28.01.2025 को नगर परिषद्, बड़हिया के सभागार में 11:00 बजे पूर्वाह्न से आयोजित की जाएगी।
9. अभ्यर्थी आवेदन पत्र नगर परिषद्, बड़हिया कार्यालय स्थित प्राप्ति काउंटर एवं सम्पर्क नम्बर 8271621938 से प्राप्त कर सकते है।
10. अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक–25.01.2025 तक आवेदन के साथ अपने दस्तावेज की फोटो कॉपी स्व अभिप्रमाणित कर नगर परिषद् कार्यालय में अपराह्न 05:00 बजे तक जमा कर देंगे।
11. सभी अभ्यर्थी अपना मूल दस्तावेज (यथा– अपने संबंधित मूल प्रमाण–पत्र, अंक प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड के साथ अवश्य लाएंगे।

स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ :–

1. कार्य अवधि पाँच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
2. मानदेय प्रत्येक माह के एक से पाँच तारीख तक देय होगा।
3. मानदेय कर्मी के Bank Account में ही भेजा जाएगा।
4. प्रतिदिन रू० 300.00 के दर से प्रतिमाह अधिकतम 20 दिन का मानदेय 300x20 = 6000.00 रू० मानदेय के रूप में देय होगा।
5. स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जायेगा, जिसकी अवधि अक्टुबर, 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
6. प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए Engage किया जायेगा।
7. सभी स्वच्छ साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी।
8. छूट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगें।
9. किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जायेगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नही होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोट :– विस्तृत जानकारी के लिए नगर परिषद्, बड़हिया के नोटिस बोर्ड पर द्रष्टव्य है।

13/01/25

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् बड़हिया (लखीसराय)।